

206

संख्या-प0नि0 30-155/2021 3249
प्रेषक,



राज्य निर्वाचन आयोग
बिहार
STATE ELECTION COMMISSION,
BIHAR

सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी-सह-जिला
निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत)
सिवान।

पटना, दिनांक-24.8.21

विषय :- पंचायत आम निर्वाचन, 2021 हेतु संशोधित मतदान केन्द्रों पर आयोग का अनुमोदन के संबंध में।

प्रसंग:- आपका पत्रांक-1516-II/प0, दिनांक-17.08.2021
महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक आपके प्रासंगिक पत्र से प्राप्त 06 मतदान केन्द्रों के संशोधन के प्रस्ताव की जाँच के पश्चात् बिहार पंचायत निर्वाचन नियमावली, 2006 के नियम-26 के अन्तर्गत स्तंभ-5 में अंकित मतदान केन्द्रों की संख्या पर राज्य निर्वाचन आयोग का अनुमोदन संसूचित किया जाता है।

	प्रखंड का नाम	संशोधित मतदान केन्द्रों की संख्या	सहायक मतदान केन्द्रों की कुल संख्या	आयोग द्वारा अनुमोदित मतदान केन्द्रों की कुल संख्या	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	मैरवा	2	0	2	
2	सिवान सदर	1	0	1	
3	पंचरुखी	1	0	1	
4	हसनपुरा	1	0	1	
5	हुसैनगंज	1	0	1	
	कुल	6	0	6	

मतदान केन्द्रों की सूची बिहार पंचायत निर्वाचन नियमावली, 2006 के नियम-27 के अनुसार सर्वसाधारण की जानकारी हेतु नियम-8 के उप नियम (1) में विहित रीति से प्रकाशित की जाए तथा उसकी सूचना आयोग को दी जाए।

विश्वासभाजन

ज्ञापांक-3249/-

पटना, दिनांक-24.8.21/-

प्रतिलिपि:- आई.टी. मैनेजर, राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना को निदेश दिया जाता है कि संशोधित एवं सहायक मतदान केन्द्रों की सूची को आयोग के वेबसाइट पर अपलोड करे।

सचिव।

प्रखण्ड कार्यालय, गैरवा

प्रपत्र -II

(नियम-2 (ग) के अचीन)

आयोग के अनुमोदन हेतु भेजी जाने वाली संशोधित मतदान केन्द्रों की सूची

207

पंचायत - बड़गाँव

पूर्व अनुमोदित मतदान केन्द्र की संख्या	पूर्व अनुमोदित मतदान केन्द्र का नाम एवं स्थल	संशोधन हेतु प्रस्तावित मतदान केन्द्र का नाम एवं स्थल	संशोधन का कारण / औचित्य	मतदान केन्द्र का विस्तार (प्राथमिक क्षेत्र संख्या)	मतदाता सूची के आधार पर कुल मतदाताओं की संख्या (क... तक)	भवन सरकारी / अर्द्धसरकारी है अथवा नहीं	भवन में कुल कमरों की संख्या	मतदान केन्द्र तक पहुंचने के लिए मतदाता द्वारा तय की जाने वाली अधिकतम दूरी	प्रवेश एवं निकास की अलग-अलग व्यवस्था है या नहीं	मतदान केन्द्र पर पहुंचने एवं मत देने हेतु कमजोर वर्ग के लोग निर्भव होकर मतदान कर सकते हैं व नहीं	अवस्थिति
9	सरकारी कृषि फार्म भोपतपुरा पश्चिम भाग	9.मदरसा हमिदिया मेराजुल उलूम लालगंज पश्चिम भाग	पूर्व के मतदान केन्द्र के स्थान पर मेडिकल कालेज का निर्माण होने के कारण मतदान केन्द्र को ध्वस्त कर दिया गया है	1. बड़गाँव टोला बैकुण्ठ छापर	01 से 598 तक	सरकारी	2	01कि०मी०	हाँ	हाँ	संशोधित
10	सरकारी कृषि फार्म भोपतपुरा पूरब भाग	10.मदरसा हमिदिया मेराजुल उलूम लालगंज पूरब भाग	पूर्व के मतदान केन्द्र के स्थान पर मेडिकल कालेज का निर्माण होने के कारण मतदान केन्द्र को ध्वस्त कर दिया गया है	7. धरनीछापर	01 से 531 तक	सरकारी	2	01कि०मी०	हाँ	हाँ	संशोधित

प्रमाणित किया जाता है कि मतदान केन्द्रों का चयन आयोग के दिशा निर्देशों के आलोक में किया गया । सभी मतदान केन्द्र पंचायत क्षेत्र में अवस्थित हैं तथा कोई मतदान केन्द्र निजी अथवा, धार्मिक स्थल पर स्थापित नहीं किया गया। चलि मतदान केन्द्र की स्थापना उक्त क्षेत्र में सरकारी/अर्द्धसरकारी भवन उपलब्ध नहीं रहने पर ही की गई है।

10/07/20

प्रखण्ड विकास पदाधिकारी
(प्र.प्र.वि.प्र.)

जिला पंचायत राज प्रशासक
सिवान

वरीय प्रभारी
-सह-
उप विकास आयुक्त
सिवान

जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत)
-सह-
जिला पदाधिकारी, सिवान।

प्रपत्र -2

जिला- सिवान जिलान्तर्गत पंचायत निर्वाचन 2021 के लिए संशोधित मतदान केन्द्रों की सूची

203

जिला :- सिवान

प्रखण्ड :- सिवान सदर

ग्राम पंचायत:- हसनपुरवा

क्र० सं०	मतदान केन्द्र संख्या	आयोग द्वारा पूर्व से अनुमोदित मतदान केन्द्र का नाम एवं स्थल	संशोधित मतदान केन्द्र का नाम एवं स्थल	संशोधित का कारण/औचित्य	मतदान क्षेत्र का विस्तार (प्रा०/नि० क्षेत्र संख्या.....)	मतदाता सूची के आधार पर कुल मतदाताओं की संख्या (क० से तक)	भवन सरकारी/ अर्द्ध सरकारी है अथवा नहीं	भवन में कुल कमरों की संख्या	मतदान केन्द्र तक पहुँचने के लिए मतदाता द्वारा तय की जाने वाली अधिकतम दूरी	प्रवेश एवं निकास की अलग-अलग व्यवस्था है अथवा नहीं	मतदान केन्द्र पर पहुँचने एवं मत देने हेतु कमजोर वर्ग के लोग निर्मम होकर मतदान कर सकते हैं अथवा नहीं	मतदान केन्द्र किस वार्ड में स्थित है।	अन्यविवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	130	मतदान केन्द्र सं०-130 म० वि० जिर्याँय के प्रांगण में च० म० म० दाया भाग	130 प्रा वि० कलिंजरा बाया भाग प्रा० वि० कलिंजरा	मतदान केन्द्र सं० 130 नगर निकाय में सम्मिलित होने के कारण नवगठित वार्ड सं० 10 कलिंजरा स्थित प्रा० वि० कलिंजरा बाया भाग (नवगठित पंचायत हसनपुरवा वार्ड सं० 10) में मतदान केन्द्र की स्थापना की गई है।	10 हसनपुरवा (पूर्व का 2 जिर्याँय)	-	सरकारी	2	1 कि० मी०	हाँ	हाँ	9	मतदान केन्द्र सं० 130 नगर निकाय में सम्मिलित होने के कारण नवगठित वार्ड सं० 10 कलिंजरा स्थित प्रा० वि० कलिंजरा में बाया भाग (नवगठित पंचायत हसनपुरवा वार्ड सं० 10) में मतदान केन्द्र की स्थापना की गई है।

प्रमाणित किया जाता है कि मतदान केन्द्रों का चयन आयोग के दिशा निर्देशों के आलोक में किया गया है। सभी मतदान केन्द्र पंचायत क्षेत्र में अवस्थित हैं तथा कोई मतदान केन्द्र निजी अथवा धार्मिक स्थल पर स्थापित नहीं किया गया है। चलन्त मतदान केन्द्र की स्थापना उक्त क्षेत्र में सरकारी/अर्द्धसरकारी भवन उपलब्ध नहीं रहने पर ही की गई है।

प्रखण्ड पंचायत राज पदाधिकारी
सिवान सदर।

प्रखण्ड विकास पदाधिकारी
सिवान सदर।

जिला पंचायत राज पदाधिकारी
सिवान।

उप विकास आयुक्त
सिवान

जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत)
सह
जिला पदाधिकारी सिवान।

उप सचिव
निर्वाचन आयोग, बिहार

जिला:- सिवान				प्रखंड:- पचरुखी				ग्राम पंचायत:- बिन्दुसार बुजुर्ग			
पूर्व अनुमोदित मतदान केन्द्र की संख्या	पूर्व अनुमोदित मतदान केन्द्र का नाम एवं स्थल	संशोधन हेतु प्रस्तावित मतदान केन्द्र का नाम एवं स्थल	संशोधन का कारण ओचित्य	मतदान केन्द्र का विस्तार (प्रा0 नि0 क्षेत्र संख्या)	मतदाता सूची के आधार पर कुल मतदाताओं की संख्या (क्र.....से.....तक)	भवन सरकारी/अर्द्ध सरकारी है अथवा नहीं	भवन में कुल कमरों की संख्या	मतदान केन्द्र तक पहुंचने के लिए मतदाता द्वारा तय की जाने वाली अधिकतम दूरी	प्रवेश एवं निकासी की अलग-अलग व्यवस्था है अथवा नहीं	मतदान केन्द्र पर पहुंचने एवं मत देने हेतु कमजोर वर्ग के लोग निर्भय होकर मतदान कर सकते हैं अथवा नहीं	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	पंचायत भवन हकाम पूरब भाग	उम0वि0 आकोपुर, नया भवन	पूर्व अनुमोदित मतदान केन्द्र नगर निकाय में सम्मिलित हो जाने के कारण	कृष्णा कुमार के घर से अरुण कुमार के घर तक -4	1 से 483	सरकारी	4	1 कि0 मी0	हैं	हैं	पूर्व अनुमोदित मतदान केन्द्र नगर निकाय में सम्मिलित हो जाने के कारण

प्रमाणित किया जाता है कि मतदान केन्द्रों का चयन आयोग के दिशा निर्देशों के आलोक में किया गया है। सभी मतदान केन्द्र पंचायत क्षेत्र में अवस्थित हैं तथा कोई मतदान केन्द्र निजी अथवा धार्मिक स्थल पर स्थापित नहीं किया गया है। चलि मतदान केन्द्र की स्थापना उक्त क्षेत्र में सरकारी/अर्द्धसरकारी भवन उपलब्ध नहीं रहने पर ही की गई है।

प्रखण्ड पंचायत राज पदाधिकारी,
पचरुखी

प्रखण्ड विकास
पदाधिकारी,
पचरुखी।

जिला पंचायत राज पदाधिकारी
सिवान

वरीय प्रभारी
-सह-
उप विकास आयुक्त
सिवान

जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत)
-सह-
जिला पदाधिकारी, सिवान

22/1/21

3

प्रखण्ड कार्यालय, हसनपुरा
प्रपत्र -2
(नियम 2(ग) के अधीन)

201

ता :- सिवान

प्रखण्ड :- हसनपुरा

ग्राम पंचायत :- उसरी बुजुर्ग

पूर्व अनुमोदित मतदान केन्द्र की संख्या	पूर्व में अनुमोदित मतदान केन्द्र का नाम एवं स्थल	संशोधन हेतु प्रस्तावित मतदान केन्द्र का नाम एवं स्थल	संशोधन का कारण/औचित्य	मतदान केन्द्र का विस्तार (प्रान्तीय क्षेत्र संख्या)	मतदाता सूची के आधार पर कुल मतदाताओं की संख्या (क० ... से तक	भवन सरकारी/अर्द्ध सरकारी हैं अथवा नहीं	भवन में कुल कमरों की संख्या	मतदान केन्द्र तक पहुँचने के लिए मतदाता द्वारा तय की जाने वाली अधिकतम दूरी	प्रवेश एवं निकासी अलग अलग व्यवस्था हैं अथवा नहीं	मतदान केन्द्र पर पहुँचने एवं मत देने हेतु कमजोर वर्ग के लोग निर्भय होकर मतदान कर सकते हैं अथवा नहीं	अभिवृत्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
136	पंचायत भवन उसरी पुरब भाग	उसरी सरकारी भक्तद	नगर पंचायत में सम्मिलित होने के कारण	9	उसरी बुजुर्ग	सरकारी	4	0.5 कि०मी०	हां	हां	

प्रमाणित किया जाता है कि मतदान केन्द्रों का चयन आयोग के दिशा निर्देशों के आलोक में किया गया है। सभी मतदान केन्द्र पंचायत क्षेत्र में अवस्थित हैं तथा कोई मतदान केन्द्र निजी अथवा धार्मिक स्थल पर स्थापित नहीं किया गया है। चयनित मतदान केन्द्र की सीपना उक्त क्षेत्र में सरकारी/अर्द्धसरकारी भवन उपलब्ध नहीं रहने पर ही की गयी है।

निर्वाची पदाधिकारी (पंचायत)
—सह—
प्रखण्ड विकास पदाधिकारी
हसनपुरा।

जिला पंचायत उप पदाधिकारी
विभाग

14/8/21
वरिय प्रभारी
—सह—
उप विकास आमुक्त
सिवान

निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत)
—सह—
जिला पदाधिकारी, सिवान।

Direct
24/8/21

प्रखंड कार्यालय, हुसैनगंज
पंचायत आम निर्वाचन -2021

प्रपत्र-2

आयोग के अनुमोदन हेतु भेजी जाने वाली संसोधित मतदान केन्द्रों की सूची

प्रखंड का नाम-हुसैनगंज

पंचायत का नाम- पकवलिया

क्र०स०	जिला का नाम- सिवान	पूर्व अनुमोदित मतदान केन्द्र का नाम एवं स्थल	संसोधन हेतु प्रस्तावित मतदान केन्द्र का नाम एवं स्थल	संसोधन का कारण/औचित्य	मतदान केन्द्र का विस्तार (प्रा० नि० क्षेत्र संख्या)	मतदाता सूची के आधार पर कुल मतदाताओं की संख्या (क्र०... से... तक)	भवन सरकारी/ अर्द्ध सरकारी है अथवा नहीं	भवन में कुल कमरों की संख्या	मतदान केन्द्र तक पहुँचने के लिए मतदाता द्वारा तय की जाने वाली अधिकतम दूरी	प्रवेश एवं विकास की अलग-अलग व्यवस्था है अथवा नहीं	मतदान केन्द्र पर पहुँचने एवं मत देने हेतु कमजोर वर्ग के लोग निर्भय होकर मतदान कर सकते हैं अथवा नहीं	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	21	प्रा० वि० पैगम्बरपुर	प्रा० वि० गोसोपाली पूर्वी भाग	नगर निकाय विस्तार के फलस्वरूप पूर्व का मतदान केन्द्र स्थल नगर परिषद, सिवान में सम्मिलित होने के कारण	8	1-461	सरकारी	4	1 किमी०	हाँ	हाँ	

प्रमाणित किया जाता है कि मतदान केन्द्रों का चयन आयोग के दिशा निर्देश के आलोक में किया गया है। सभी मतदान केन्द्र पंचायत क्षेत्र में अवस्थित हैं तथा कोई मतदान केन्द्र निजी अथवा धार्मिक स्थल पर स्थापित नहीं किया गया है। चलिमत मतदान केन्द्र की स्थापना उक्त क्षेत्र में सरकारी/अर्द्धसरकारी भवन उपलब्ध नहीं रहने पर ही की गई है।

निर्वाची पदाधिकारी (पंचायत)

—सह—

प्रखंड विकास पदाधिकारी, हुसैनगंज

जिला पंचायत उप महाविभागीय
सिवाव

वरीय प्रणारी

—सह—

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अनुमोदित विकास बाबुपुत्र
सिवान

जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत)

—सह—

जिला पदाधिकारी, सिवान ।